



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-16.04.2025

**विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 08 माह का साधारण कारावास व कुल 750/- रु0 अर्थदण्ड ।**

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-85A/2004 धारा 147,148,323/149,452/149,435/149,427,336,504,506(2),324/149,307/149 भा0द0वि0 व धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बच्चालाल उर्फ मंजू पुत्र नारायण निवासी ग्राम मडौली थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-16.04.2025 को माननीय न्यायालय स्पे0 जज एस0सी0/एस0टी0 एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त बच्चालाल उर्फ मंजू उपरोक्त को अंतर्गत धारा 147 भा0द0वि0 में 02 माह के साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 148 भा0द0वि0 में 03 माह के साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 323/149 भा0द0वि0 में 01 माह के साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 452/149 भा0द0वि0 में 06 माह के साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 435/149 भा0द0वि0 में 06 माह के साधारण कारावास के दण्ड से व 250/- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 427 भा0द0वि0 में 02 माह के साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 336 भा0द0वि0 में 01 माह के साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 504 भा0द0वि0 में 02 माह के साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 506(2) भा0द0वि0 में 02 माह के साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 324/149 भा0द0वि0 में 01 माह के साधारण कारावास के दण्ड से, धारा 307/149 भा0द0वि0 में 08 माह के साधारण कारावास के दण्ड से व 500/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत 06 माह के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।